बजट 2012–13 और उच्च एवं तकनीकि शिक्षा

–कौशलेंद्र प्रपन्न

किसी भी देश–समाज और व्यक्ति के विकास में शिक्षा की ख़ासी भूमिका होती है। यदि इनमें से किसी को मटियामेट करना हो तो शिक्षा को कमजोर कर देने भर से हो सकता है। शिक्षा न केवल मानवीय मूल्यों, संस्कृतियों और संवेदनाओं को अग्रसारित करती है, बल्कि किसी भी देश–समाज और व्यक्ति की गति–मति और विकास की दिशा भी तय करती है। प्राथमिक शिक्षा को हम उच्च शिक्षा की आधार–भूमि कहें तो गलत न होगा। उच्च शिक्षा की मजबूत और मनोहर प्राचीर तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी बुनियाद सही और दुरुस्त हो। उच्च शिक्षा और तकनीकि शिक्षा पर विमर्श करने से पूर्व बुनियादी शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा की जमीन को टटोलना अप्रासंगिक नहीं होगा। गौरतलब है कि आम बजट 2012–13 में वितमंत्री ने सर्वशिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी कौशल विकास पर जोर दिया है। इसके साथ ही 2009 में लॉच किया मॉडल स्कूल परियोजना पर भी ध्यान दिया गया है। इस आम बजट 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान को 3,124 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। यदि इस राशि की तुलना पिछले साल के बजट से करें तो पाएंगे कि 2011–12 की राशि से तकरीबन 29 फीसदी ज्यदा है। मॉडल स्कूल की स्थापना और सुचारू रूप से चले इसके लिए 1,080 करोड़ रुयए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना में 6000 स्कूलों की स्थापना की जानी है। जिसमें से 2500 सौ स्कूल की स्थापना सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बजट में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए वित मंत्री ने 64,679 करोड़

> **प्राथमिक शिक्षा को हम उच्च शिक्षा की आधार–भूमि कहें तो गलत न होगा। उच्च शिक्षा की मजबूत और मनोहर प्राचीर तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी बुनियाद सही और दुरुस्त हो।**

रुपए आवंटित किए हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान आदि क्षेत्रों को भी वितमंत्री ने संज्ञान में लिया है जिसमें कृषि अनुसंधानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों आदि को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा को 6,680 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बतौर वित्तमंत्री के अभिभाषण बताते हैं– शिक्षा का अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान हेतु 2012–13 के बजट में 25,555 रुपए का प्रस्ताव किया गया है। जो कि पिछले साल के बजट 2011–12 की तुलना में 21.7 फीसदी ज्यादा है।

भारत की वर्तमान प्राथमिक शिक्षा की दशा–दिशा पर नजर डालें तो पाएंगे कि समय–समय पर कई गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से कराए गए अध्ययन साफ बताते हैं कि 'शिक्षा का अधिकार कानून 2009' के लागू होने के बाद प्राथमिक स्कूलों में दाखिले के आंकड़ों में तों इजाफा हुआ है। लेकिन रजिस्टर में दर्ज नामों में से बीच में ही स्कूल, शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम नहीं है। वर्त्तमान सरकार एवं इसका आम बजट सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार कानून को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए चालू वित वर्ष में 25,555 रुपए का प्रस्ताव किया गया है। अनुमानतः यह राशि पिछले वर्ष के अनुसार 22 फीसदी ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ ही एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि जो बच्चे स्कूलों में टिके रह पाए उन्हें किस स्तर की और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। हकीकत यह है कि कक्षा 6,8 वीं में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 2, 3 के स्तर की समझ, वर्णमालाएं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स और गणित में सवाल करने की क्षमता नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राथमिक स्कूलों में चाहे वह सरकारी स्कूल हों या निजी स्कूल हर जगह अमूमन स्थिति निराशाजनक ही है। क्योंकि इंफासिस कंपनी ने पिछले साल देश तकरीबन

> आम बजट 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान को 3,124 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। यदि इस राशि की तुलना पिछले साल के बजट से करें तो पाएंगे कि 2011–12 की राशि से तकरीबन 29 फीसदी ज्यदा है। मॉडल स्कूल की स्थापना और सुचारू रूप से चले इसके लिए 1,080 करोड़ रुयए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना में 6000 स्कूलों की स्थापना की जानी है। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए वित मंत्री ने 64,679 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

85 जाने माने निजी स्कूलों में मिलने वाली प्राथमिक शिक्षा की हांड़ी में पक रहे दानों को टटोला था। इस अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों को न केवल भाषा के स्तर पर बल्कि मूल्यों, सामान्य ज्ञान–जानकारियों के स्तर पर भी बेहद कमतर तालीम मिल रही है। बहरहाल प्राथमिक शिक्षा की जमीन जिस तरह की दिखाई देती है उसी पर तैयार हो रहे उच्च शिक्षा की मंजिलों का मुआयना करना होगा।

उच्च शिक्षा का साबका सीधा–सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयी प्रांगणों एवं अन्य अकादमिक संस्थाओं में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले गवेषणाओं और नवाचारों ,अकादमिक गतिविधियों, पठन–पाठन, शोध आदि कार्यों से है। वित्तमंत्री ने निवर्तमान बजट 2012–13 में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास और संवर्द्धन के लिए 15,000 रुपए मिले हैं। उच्च एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को जिनती राशि मिली है उसमें आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर आदि संस्थाओं में साझेदार होंगे। वहीं कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनके विकास को खास तवज्जो मिली है। उनमें कुछ प्रमुख हैं– 100 करोड़ रुपए केरला कृषि विश्वविद्यालय, 50 करोड़ रुपए चौधरी चरण सिंह हरियाण कृषि विश्वविद्यालय हिसार, 15 करोड़ रुपए नेशनल कॉसिल फॉर एप्लाइड इक्नॉमिक्स रिसर्च आदि। यदि विश्वविद्यालयों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि खास तकनीकी शिक्षा व विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना उद्देश्य रहा है। ‘प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर’ नेशनल एजुकेशन पॉलिशी 1986 रिव्यू ‘एनईपी’ 1990 से शब्द उधार लेकर कहें तो यह होगा ‘ उच्च शिक्षा सुविधाओं के समेकन के लिए तथा शिक्षा प्रणाली के स्तर को गिरावट से बचाने के लिए यद्यपि नेशनल एजुकेशन पॉलिशी 1986 का दृष्टिकोण स्वाभाविक ही है तथापि यह उचित ही होगा कि दृष्टिकोण प्रगतिशील हो और निष्क्रिय न होकर सक्रिय हो। पिछड़े क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।’ गौरतलब है कि उच्च शिक्षा संबंधि परिपेक्ष्य की व्याख्या नेशनल एजुकेशन पॉलिशी 1986 में पैरा 5.24 से 5.42 में दी गई है। एनईपी 86 में जिस उच्च शिक्षा की बात की गई है वह कार्य की अपेक्षा अनुचिंतन पर बल देती है ‘ पैरा 5.24’।

गौरतलब है कि 2012–13 के वित्तीय वर्ष में राशि के आवंटन में उच्च शिक्षा के नाम पर जिन संस्थानों को शामिल किया गया है उन्हें देखते हुए लगता है कि सरकार की नजर में उच्च एवं तकनीकी

शिक्षा की श्रेणी में अधिकतर कृषि संस्थान ही हैं। वहीं अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों की कमी नहीं हैं जहां प्राध्यापकों की खासा कमी है। उचित प्राध्यापकों की कमी तो है ही साथ ही जहां रिसर्च एवं पुस्तकालयों में रिसर्च सामग्रियों के टोटे हैं लेकिन उन्हें इस लायक नहीं समझा गया। उच्च शिक्षा में दो प्रमुख स्थितियां देखी जा सकती हैं पहला, विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा, शोध आदि में छात्रों की घटती रूचि, संख्या एवं अध्ययन–अध्यापन की दयनीय स्थिति और दूसरी ओर प्राईवेट विश्वविद्यालयों की बड़ी तेजी से फैलती बेलें। इन प्राईवेट विश्वविद्यालयों में जिन विषयों को रखा गया है और जिन विषयों को बाहर कर दिया गया है यह एक चिंतनीय मुद्दा है। दूसरी स्थिति पर सवाल उठता है कि इन संस्थाओं में उच्च शिक्षा के नाम पर किस किस्म कि शिक्षा या प्रशिक्षण भर दिया जा रहा है। यहां किस प्रकार की शिक्षा एवं शिक्षा के वृहत्तर उद्देश्यों में से किन किन को पूरा किया जा रहा है। जब इस बाबत विचार करते हैं तो पाएंगे कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा नहीं बल्कि तकनीकी, प्रौद्योगिकी, होटल मैंनेजमेंट आदि से संबंधित प्रशिक्षण दी जा रही हैं न कि शिक्षा। इन प्रशिक्षण संस्थाओं से मानविकी विषयों से हाशिए पर डाल दिया गया है। दरअसल इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे उद्देश्य भी तकनीकी विषयों को बढ़ावा देना ही रहा है। जिस लिहाज से उचित भी है। एनईपी 86 के 'पैरा 6.1' में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के पुनर्गठन पर विचार किया गया हैं। वहीं एनईपी 86 के 10.1.2 में स्पष्ट कहा गया है तंत्र का प्रबंध, आधार संरचना विकास, नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, तकनीकी शिक्षा का विकास, स्नातक पाठ्यक्रमों का विविध विस्तार, स्नातकोत्तर शिक्षा पर विशेष ध्यान, तकनीकी शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण को बल प्रदान करना तथा विस्तार आदि।

तकनीकी और मानविकीपरक विषयों के विश्वविद्यालयों में बुनियादी अंतर यदि कुछ है तो वह यही कि तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षणपरक विश्वविद्यालयों में प्रबंधन की तालीम के साथ ही प्रकारांतर से कस्टमर, मार्केट और उत्पाद संबंधी सेवा क्षेत्रों में कैसे टिका रहा जाए आदि की समझ दी जाती है। तकनीकी शिक्षा को लेकर एक सवाल उठता है कि तकनीकी शिक्षा को जनता की जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए न कि उपभोक्तापरक समाज की बतलाई जरूरतों की। आज की तारीख में यह ख़ासा अहम हो चुका है कि

तकनीक शिक्षा को एक सामाजिक दिशा दी जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो तकनीकी शिक्षा का परिणाम यह न हो जाए कि वह मानवीय संवेदनाओं का नियंता हो जाए। के एन पणिक्कर अपने एक लेख 'भारतीय शिक्षा किधर' में आगाह करते हैं कि 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा के पक्ष में बदलाव की सिफारिश की थी।

कौशलेंद्र प्रपन्न

नेशनल कंपेन कॉडिनेटर

नेशनल कोलीएशन फार एजूकेशन

6/54, विजयनगर,डबल स्टोरी, दिल्ली 110009